

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिकांरिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशेष टिप्पणी की जाएँ)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर प्रस्तावित प्रस्ताव रकबा 201.079 हेक्टेयर वनभूमि में भूमिगत कोयला खनिज उत्खनन कार्य के लिये मेसर्स वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, पायाखेड़ा क्षेत्र, बैतूल के पुनर्विचार प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्धप्राणी) का अभिमत प्राप्त कर प्रस्ताव में अनुमति देने की अनुशंसा की जाती है।
----	--	----	---

दिनांक: 03/2/18
स्थान: भोपाल



(कैप्टन अनिल कुमार खरे)

सचिव

म.प्र. शासन वन विभाग
(कैप्टन अनिल कुमार खरे)
सचिव

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोटल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा) मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग